राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 308/28/76/एक/2018–19 दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**पीलीभीत।**

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ बडौदा	00730100021301	IFSC Code BARBOPILIBH	177.940

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु0न0अ0वि0 व म0ब0वि0 योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पीलीभीत	मो0 नखासा वार्ड संख्या–01 में रामू बाल्मीकी के मकान से हरीश की डेरी तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	7.118
2	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पीलीभीत	मो0 बागगुशेर खां में वार्ड संख्या–02 में महेन्द्र के मकान से राजवीर के मकान तक, चिम्मन से शेरसिंह, मुकेश से राम भरोसे तथा भागीरथ से रामपाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	4.449
3	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पीलीभीत	वार्ड संख्या–18 मो0 बेनी चौधरी में हनीफ के मकान से गुड्डु के मकान तक, पप्पू से शाकिर अहमद, रफीक से अब्दुल, दशमा से हामिद, मुन्ने से यूनिस, जफर से शाकिर तथा साकिर से नसरीन के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण।	7.118
4	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पीलीभीत	वार्ड सं0–18 मो0 बेनीचौधरी में बाल्मिीकी मंदिर से कप्तान की पुलिया तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.338
5	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पीलीभीत	वार्ड सं0–18 मो0 बेनी चौधरी में पप्पू से सकीर अहमद एवं मेन रोड से विद्याराम धोबी के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक एवं नाली निर्माण कार्य।	3.559
6	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पीलीभीत	वार्ड सं0 03 मो0 डलचन्द्र में पप्पू से रामऔतार, अनीता से परवेज, वीकेश से दिगम्बर अमित वाल्मीकि से अफरोज अहमद, रमेश से हरीराम एवं राजू से गोविन्द तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक एवं नाली निर्माण कार्य।	4.449
7	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पीलीभीत	वार्ड सं0 06 मो0 सुनगढ़ी में रवि सोनकर से बंटी सोनकर, संघ कार्यालय वाली गली एवं सुमन विधायक मन्दिर से नवीन के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक एवं नाली निर्माण कार्य।	3.559

SUDA
राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु0न0अ0वि0 व म0ब0वि0 योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
8	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पं0 बरखेड़ा	वार्ड सं0 01 नगर पंचायत बरखेडा मो0 हरिजन बस्ती में झम्मन से रामशंकर, चोखे से कैलाश, पप्पू से बसंत, आईटीआई से सिद्धबाबा सफल एवं आईटीआई से रामस्वरूप के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक एवं नाली निर्माण कार्य।	15.125
9	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पं0 बरखेड़ा	वार्ड नं0 02 में कुन्दनपुर प्रथम में राकेश से नन्दकिशोर, करन से पप्पू, मुन्नालाल से छत्रपाल, वीना से लाल एवं एलबी रोड से लालजीत के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.015
10	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पं0 कलीनगर	वार्ड सं0 01 नगर पंचायत कलीनगर मो0 पासियान में रामकिशोर से छोटेलाल भारती, देवस्थान से भगरे व राजेन्दर, कान्ताप्रसाद से रामविलास, इन्द्रजीत से हेतराम, सोहन सरजू से डोरीलाल, तेजराम से शंकर एवं सत्यपाल से रामऔतार तक गलियों में इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.015
11	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पं0 कलीनगर	वार्ड नं0 02 में पंडरा में श्यामादीन से रामचन्द्र लाल, डयमण्ड टेलर से कैलाश, एवं भगवानदास से बनवारी लाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.118
12	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पूरनपुर	वार्ड सं0 04 में मो0 बमनपुरी में मुन्ना लोहा के पीछे से उदयराज तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.779
13	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 बीसलपुर	वार्ड सं0 14 मो0 दुर्गाप्रसाद में संतकालोनी में विनोद गोस्वामी के मकान से उर्मिला देवी के पास बीसलपुर वाया रामलीला–दियारियाकलां मार्ग तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	8.897
14	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 बीसलपुर	वार्ड सं0 14 आंशिक मो0 दुवे में रामलीला दियूरियाकलां मार्ग के दोनों तरफ रामलीला ग्राउण्ड से रेलवे क्रासिंग तक नाला निर्माण कार्य।	12.456
15	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 बीसलपुर	वार्ड सं0 02 मो0 दुवे में रामलीला वाईपास रोड (निकट राजकीय परिवहन बस अड्डा) से पीछे पुलिया तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	11.566
16	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पीलीभीत	वार्ड सं0 04 दुर्गापुर बडगवां में पुराना बरेली मार्ग (दक्षिण किनारे) मार्ग पर राजकीय महाविद्यालय के सामने नाला निर्माण कार्य।	2.669
17	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पं0 बरखेड़ा	वार्ड सं0 01 नगर पंचायत बरखेडा मो0 हरिजन बस्ती में ओमप्रकाश से भगवान दास, रामदास से मोती, जागेश्वर से मुन्ने एवं टोडीलाल से भगीरथ के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर्स ब्लाक एवं नाली निर्माण कार्य।	13.346

(51/7)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु0न0अ0वि0 व म0ब0वि0 योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
18	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 बीसलपुर	वार्ड 01 मो0 दुर्गाप्रसाद में अमरीक सिंह के मकान से पीलीभीत रोड तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.566
19	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पीलीभीत	वार्ड नं0 06 मो0 सुनगढ़ी डा0 गोखले के अस्पताल से रज्जन तक सी0सी0रोड एवं निर्माण कार्य।	6.228
20	पीलीभीत	म0ब0–83	न0पा0प0 पूरनपुर	वार्ड सं0 01 मो0 कायस्थान में बाल्मीकी मंदिर मठिया से पानी की टंकी तक सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	19.570
	योग				**177.940**

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

5/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक